प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला : भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम थाना : सी.पी.एस. भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.सं. ....84/2022...... दिनांक ....9/3/2022..........

2. (i) अधिनियम – धारा – 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी. भा.द.स.
(ii) अधिनियम – भा.द.सं. –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....188.. समय ..6:35 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन व समयः सोमवार दिनांक 07–3–22 समयः 2.38 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 25–2–2022

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी : उत्तर/पश्चिम दिशा में करीब 55 किमी.
(ब) पता : गांधीचोक के पास पंकज प्रिंटिंग प्रेस के उपर प्रथम तल पर स्थित सरकारी आवास अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसीन्द।
................–............ बीट संख्या ....–...........जरायमदेही सं...............
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....–................. जिला ....–.......................

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : – श्री देवीलाल साहु
(ब) पिता का नाम : – श्री मोडीराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष : – 42 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या ....–.................. जारी होने की तिथि ....–........
जारी होने की जगह ....–.........................
(र) व्यवसाय : – खेती
(ल) पता : – निवासी आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   1. श्री पिन्टुलाल पुत्र श्री जमना लाल उम्र 36 वर्ष निवासी देवविहार कॉलोनी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा हाल अधिशाषी अधिकरी नगरपालिका आसीन्द जिला भीलवाड़ा।
   2. श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द उम्र 21 वर्ष निवासी केलु तहसील मसुदा जिला अजमेर (प्राईवेट व्यक्ति) निजी कार चालक श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पत्ति का विवरण(अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

क्र.सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तुस्थिति
1	भारतीय चलन मुद्रा	125000 रूपये	आरोपीगणों द्वारा परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि 125000 रूपये बरामद की गई।

10. चुराई हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य : –

11. मर्ग सूचना/अप्राकृतिक मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो : –

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून) (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे):

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम

विषय : कानूनीं कार्यवाही कराने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी श्री देवीलाल पुत्र श्री मोडीराम जी साहु निवासी आसीन्द जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे आसीन्द भीलवाड़ा रोड़ पर स्थित भुखण्ड पर निर्माण स्वीकृति के लिए मैंने नियमानुसार नगरपालिका आसीन्द में दिनांक 31.12.2021 को आवेदन कर रखा है। मेरीं निर्माण स्वींकृति की पत्रावली कार्यालय न. पा. आसीन्द में पेण्डिंग चल रहीं है। और इसी दौरान् न.पा. आसीन्द में पदस्थापित श्री पिन्टूलाल जाट अधिशााषी अधिकारी न. पा. आसीन्द मेरे पास दो–तींन बार आये और मेरे से उक्त निर्माण स्वींकृति देने के एवज में दो लाख रूपये रिश्वत राशी की मांग की गई। मेरे द्वारा जायज काम के बदले रिश्वत राशि देने के लिए मना किया तो उन्होने कहा कि एक लाख पैत्तींस हजार आज ही दो और बाकी के पैसे बाद में दे देना इस पर उन्होने कहा कि रिश्वत के रूपये नहीं दोगे तो तुम्हारी निर्माण स्वीकृति जारी नहीं करूंगा। उसके बाद श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी न. पा. आसीन्द ने मेरे को उनके हस्ताक्षर से जारी नोटिस संख्या 5525 दिनांक 22.02.22 बिना निर्माण स्वींकृति के सम्बन्ध में दिया गया जिसके बाद मैं श्री पिन्टुलाल जीं से मिला तो उन्होने कहा कि आपने मेरीं मांग के अनुसार रूपये नही दिये इसलिये नोटिस दिया गया है तथा अब नोटिस फाईल करवाना है एवं निर्माण स्वीकृति जारी करानी है तो एक लाख पच्चास हजार रूपये देने पड़ेंगे।

मैं मेरे जायज काम के बदले रिंश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ और पिन्टूलाल अधिशाषी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। कानूनीं कार्यवाही करावे।

दिनांक
25/02/2022

प्रार्थी
सही/–
(देवीलाल पिता मोडीराम जी साहु नि.
आसीन्द जि. भीलवाड़ा–9928045624)

1. श्री मनीषकुमार–सही/–
2. श्री मुकेशकुमार–सही/–

कार्यवाही पुलिस
भ्र. नि. ब्यूरो, भीलवाड़ा–प्रथम

दिनांक : 25–02–22 समय : 11.00 ए.एम.

इस वक्त परिवादी श्री देवीलाल साहु निवासी आसीन्द जिला भीलवाड़ा ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा–प्रथम पर उपस्थित होकर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम के समक्ष एक हस्तलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी की उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया। परिवादी ने उक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि ‘‘ मैं प्रार्थी श्री देवीलाल पुत्र श्री मोडीराम जी साहु निवासी आसीन्द जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे आसीन्द भीलवाड़ा रोड़ पर स्थित भुखण्ड पर निर्माण स्वीकृति के लिए मैंने नियमानुसार नगरपालिका आसीन्द में दिनांक 31.12.2021 को आवेदन कर रखा है। मेरी निर्माण स्वींकृति की पत्रावली कार्यालय न. पा. आसीन्द में पेण्डिंग चल रहीं है। और इसी दौरान् न.पा. आसीन्द में पदस्थापित श्री पिन्टूलाल जाट अधिशााषी अधिकारी न. पा. आसीन्द मेरे पास दो–तींन बार आये और मेरे से उक्त निर्माण स्वीकृति देने के एवज में दो लाख रूपये रिश्वत राशी की मांग की गई। मेरे द्वारा जायज काम के बदले रिश्वत राशि देने के लिए मना किया तो उन्होने कहा कि एक लाख पैत्तींस हजार आज ही दो और बाकी

के पैसे बाद में दे देना इस पर उन्होने कहा कि रिश्वत के रूपये नही दोगे तो तुम्हारी निर्माण स्वीकृति जारी नही करूंगा। उसके बाद श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी न. पा. आसीन्द ने मेरे को उनके हस्ताक्षर से जारी नोटिस संख्या 5525 दिनांक 22.02.22 बिना निर्माण स्वीकृति के सम्बन्ध में दिया गया जिसके बाद मैं श्री पिन्टुलाल जी से मिला तो उन्होने कहा कि आपने मेरी मांग के अनुसार रूपये नही दिये इसलिये नोटिस दिया गया है तथा अब नोटिस फाईल करवाना है एवं निर्माण स्वीकृति जारी करानी है तो एक लाख पच्चास हजार रूपये देने पड़ेंगे। मैं मेरे जायज काम के बदले रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ और पिन्टूलाल अधिशाषी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावे। '' उक्त रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए परिवादी श्री देवीलाल साहु को हमराह साथ में लेकर अपने कार्यालय कक्ष में लाकर परिवादी को उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने मजिद पुछताछ पर बताया कि '' मेरे आसीन्द भीलवाड़ा रोड़ स्थित गोविन्दपुरा में भुखण्ड पर निर्माण कार्य चल रहा है तथा उसकी निर्माण स्वीकृति के लिये मैंने नियमानुसार नगरपालिका आसीन्द में दिनांक 31.12.2021 को आवेदन किया जिसकी प्राप्ति रसीद कमांक 2393 दिनांक 31.12.21 प्राप्त की गई। मेरी निर्माण स्वीकृति की पत्रावली आसीन्द नगरपालिका में पेण्डिंग चल रही है और इसी दौरान् नगरपालिका आसीन्द में पदस्थापित श्री पिन्टुलाल जाट अधिशााषी अधिकारी नगरपालिका मेरे पास दो–तीन बार आये और मेरे से उक्त निर्माण स्वीकृति देने की एवज में दो लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। मेरे द्वारा जायज काम के बदले रिश्वत राशि देने के लिये मना किया तो उन्होने कहा कि एक लाख पैत्तीस की मांग की और बाकी के पैसे बाद में दे देना बोला तथा इस पर उन्होने कहा कि रिश्वत के रूपये नही दोगे तो तुम्हारी निर्माण स्वीकृति जारी नही करूंगा। उसके बाद श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसीन्द ने मेरे को उनके हस्ताक्षर से जारी नोटिस संख्या 5525 दिनांक 22.02.22 बिना निर्माण स्वीकृति के सम्बन्ध में दिया गया जिसके बाद श्री पिन्टुलाल जी से मिला तो उन्होने कहा कि आपने मेरी मांग के अनुसार रूपये नही दिये इसलिये नोटिस दिया गया है तथा अब नोटिस फाईल करवाना है एवं निर्माण स्वीकृति जारी करानी है तो एक लाख पच्चास हजार रूपये देने पड़ेंगे। इसलिये कार्यवाही के लिये उपस्थित आया'' परिवादी ने अपने पास से नगरपालिका आसीन्द द्वारा जारी नोटिस कमांक 5525 दिनांक 22.02.2022 की छाया प्रति, भुखण्ड निर्माण स्वीकृति हेतु पत्रावली आसीन्द नगरपालिका में जमा करवाई गई जिसकी प्राप्ति रसीद कमांक 2393 दिनांक 31.12.21 की छाया प्रति एवं आधार कार्ड की छाया प्रति अपने हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की जिसको शामिल कार्यवाही की गई।

सही/–
(देवीलाल साहु, परिवादी)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक
भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम

दिनांक 25–02–22 समय 11.15 ए.एम.

परिवादी श्री देवीलाल साहु की उपरोक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजिद पुछताछ से आरोपी श्री पिन्टुलाल जाट अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसीन्द जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध मामला कार्यवाही ट्रेप का पाया जाता है। नियमानुसार रिश्वती राशि के मांग का सत्यापन कराया जाना वांछित होने से इस संबंध में मन पुलिस निरीक्षक ने अपने मंतव्य से परिवादी को अवगत कराया परिवादी ने बताया कि अभी मेरे घरेलु आवश्यक कार्य से मुझे कहीं जाना है तथा संदिग्ध श्री पिन्टुलाल के पास भी नगरपालिका आसीन्द के अलावा अतिरिक्त चार्ज शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का भी है जिसके बारे में मालुमात की तो वह आज नगरपालिका आसीन्द में नहीं है, संदिग्ध श्री पिन्टुलाल से सम्पर्क होने पर मैं सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा सकता हूँ। इस पर कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाया जाकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रखरखाव एवं संचालन की विधि को भंलिभांति समझाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी संदिग्ध श्री पिन्टुलाल से सम्पर्क होने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होवे इस पर परिवादी ने बताया कि संदिग्ध श्री पिन्टुलाल बहुत ही चालाक प्रवृति का व्यक्ति है तथा वह मेरे से सम्पर्क करने के बाद मेरा आपके कार्यालय भीलवाड़ा में आकर वापस आसीन्द जाने में समय लगने की सम्भावना है इस हेतु आपके सम्पर्क करने पर

आपके कार्यालय से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड सहित कार्यालय स्टाफ को आसीन्द भिजवाने पर मांग सत्यापन की कार्यवाही आसानी से हो सकेगी। इस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय के मालखाने में रखवाया गया। हालात से श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को निवेदन किया गया।

सही/–
(श्री देवीलाल साहु)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 27–02–22 समय 12.20 पी.एम.

समय करीब 12.13 पी.एम. पर परिवादी श्री देवीलाल साहु ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि संदिग्ध श्री पिन्टुलाल से सम्पर्क किया तो उसने मुझे उसके निवास स्थान गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा होना बताया है तथा मुझे गुलाबपुरा स्थित उसके घर पर बुलाया तथा वह बहुत ही चालाक व्यक्ति है तथा वह उसके घर पर ही मेरे से रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में बातचित करेगा। इस पर कार्यालय में उपस्थित श्री रामेश्वरलाल कान्सटेबल नम्बर 250 को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के वास्ते मांग सत्यापन हेतु भिजवाने एवं परिवादी से सम्पर्क करने हेतु अवगत कराया गया तत्पश्चात् श्री रामेश्वरलाल कान्सटेबल नम्बर 250 को तलब कर कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर परिवादी के मोबाईल नम्बर दिये जाकर आवश्यक समझाईश की गई तथा परिवादी से श्री रामेश्वर लाल ने जरिये मोबाईल परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने आसीन्द स्थित कोर्ट केम्पस के पास मिलना बताया। आवश्यक हिदायत देकर श्री रामेश्वरलाल कान्सटेबल नम्बर 250 को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया।

सही/–
(श्री रामेश्वरलाल कानि. 250)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 27–02–22 समय 10.15 पी.एम.

मन् पुलिस निरीक्षक दिगर राजकार्य में व्यस्त होने से समय 9.30 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम पर उपस्थित आई, दर्ज रहे कि समय करीब 5.30 पी.एम. पर श्री रामेश्वरलाल कान्सटेबल नम्बर 250 ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर आसीन्द पहुँचा जहां पर परिवादी श्री देवीलाल साहु से सम्पर्क कर मिला तत्पश्चात् मेरी मोटरसाईकिल को आसीन्द ही खड़ी की गई तत्पश्चात् मैं व परिवादी श्री देवीलाल साहु की कार से आसीन्द से रवाना होकर गुलाबपुरा पहुँचे और गुलाबपुरा स्थित हाईवे की पुलिया के पास पहुँचकर परिवादी श्री देवीलाल साहु ने जरिये दूरभाष संदिग्ध श्री पिन्टुलाल के मोबाईल पर सम्पर्क किया तो उसने उसे गुलाबपुरा पुलिया के पास ही कुछ ही समय बाद मिलना बताया जिस पर समय करीब 4.15 पी.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड को चालु कर परिवादी को सुपुर्द किया तथा मैं कार से उतरकर पास ही साईड में खड़ा हो गया, कुछ समय पश्चात् एक व्यक्ति परिवादी श्री देवीलाल साहु की कार के पास आया और दोनो आपस में बातचीत कर रहे थे ओर पास ही स्थित शान्ति रोड़वेज के नाम से ऑफिस में गये और आपस में बातचीत कर रहे थे कुछ समय पश्चात् उक्त व्यक्ति के जाने के बाद परिवादी श्री देवीलाल साहु मेरे पास आया उसने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया जिसे मैंने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तत्पश्चात् परिवादी ने बताया कि श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी से बातचीत हो गई है उन्होने मेरे से नगरपालिका आसीन्द से जारी नोटिस कमांक 5525/22.02.22 को फाईल करने एवं निर्माण स्वीकृति जारी करने की

एवज में रिश्वती राशि की मांग करते हुए एक लाख पच्चास हजार रूपये देना तय हुआ और जिस पर मैंने मेरे पास पड़े एक लाख रूपये उनको उनकी मांग के मुताबिक अपने स्वयं विवेक से दी गई तथा शेष राशि पच्चास हजार रूपये उनकी मांग के मुताबिक और देना बुधवार दिनांक 02.03.22 को तय हुआ, तत्पश्चात् परिवादी से भी मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये मोबाईल वार्ता की गई तो उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि दिनांक 02.03.2022 को रिश्वत राशि पच्चास हजार रूपये श्री पिन्टुलाल को देना तय हुआ है इसलिये मैं रिश्वत के रूप में दी जाने वाली पच्चास हजार रूपये की व्यवस्था का आपके कार्यालय में दिनांक 02.03.22 को उपस्थित हो जाउंगा तथा आज आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ तथा श्री रामेश्वरलाल को आसीन्द पहुँचकर भीलवाड़ा के लिय रवाना कर दूंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कार्यालय में उपस्थित आये श्री रामेश्वरलाल कान्सटेबल नम्बर 250 ने भी पूर्व में जरिये दूरभाष बताये गये उपरोक्त तथ्यो की ताईद करते हुए बताया कि मैं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के बाद परिवादी के साथ गुलाबपुरा से रवाना होकर आसीन्द आया तथा वहां से मेरी मोटरसाईकिल से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम में समय 8.30 पी. एम. पर उपस्थित आया हूँ। श्री रामेश्वरलाल ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया जिस पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि के मांग सत्यापन होने की पुष्ठि हुई। श्री रामेश्वरलाल कानि. द्वारा मांग सत्यापन के बाद जरिये दूरभाष सूचित करने के बाद हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम को जरिये दूरभाष पूर्व में निवेदन किये गये। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को उसी अवस्था में कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया। आईन्दा परिवादी तथा स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन मुर्तिब की जायेगी।

सही/–
(श्री रामेश्वरलाल कानि. 250)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 28–02–22 समय 3.00 पी.एम.

चूंकि कल दिनांक 01.03.22 को शिवरात्रि के उपलब्ध में राजकीय अवकाश होने के कारण गवाह तलबी हेतु दिनांक 02.03.2022 को प्रातः संदिग्ध श्री पिन्टुलाल के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जानी है जिसमें बतौर स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर इस कार्यालय का पत्र कमांक 222 दिनांक 28.02.2022 से श्रीमान् तहसीलदार भीलवाड़ा को दिये जाकर दिनांक 02.03.2022 को स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु मुनासिब हिदायत देकर श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक को रूखसत किया गया।

सही/–
(श्री रामपाल स.उ.नि.)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 01–03–22 समय 4.00 पी.एम.

इस समय श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक मय तहसीलदार भीलवाड़ा का कार्यालय आदेश कमांक 536 दिनांक 28.02.2022 लेकर कार्यालय उपस्थित हुआ। उक्त पत्र के अनुसार स्वतन्त्र गवाह श्री मुकेश मीणा पटवारी एवं श्री मनीषकुमार, पटवारी को दिनांक 02.03.2022 को प्रातः ब्यूरो के कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया है। उक्त पत्र को शामिल पत्रावली किया गया है। ब्यूरो के सम्बन्धित स्टाफ को मुनासिब हिदायत दी गई।

सही/–
(श्री रामपाल स.उ.नि.)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–22 समय 9.30 ए.एम.

इस समय स्वतंत्र गवाहान श्री मनींषकुमार पुत्र श्री रमेशचन्द्र जाटव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम लुहासा तहसील वैर जिला भरतपुर हाल पटवारी पटवार हल्का सेथुरिया तहसील भीलवाड़ा एवं श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री रामप्रताप मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी लुहारीकला थाना हनुमाननगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा हाल पटवारी पटवार हल्का कोदूकोटा तहसील भीलवाड़ा कार्यालय हाजा पर उपस्थित हुये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया।

सही/–
(श्री मनीषकुमार)

सही/–
(श्री मुकेशकुमार)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–22 समय 09.40 ए.एम.

इस समय परिवादी श्री देवीलाल साहु ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी ने बताया कि दिनांक 27.02.2022 को श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी से सम्पर्क किया तो उसने मुझे गुलाबपुरा स्थित उसके घर पर बुलाने पर मेरे द्वारा आपसे समय करीब 12.13 पी.एम. पर जरिये दूरभाष सम्पर्क करने पर श्री रामेश्वरलाल कानि. नम्बर 250 ने भी मेरे से जरिये दूरभाष वार्ता की तत्पश्चात् मैं आसीन्द ही था और श्री रामेश्वरलाल कानि. के आसीन्द आकर मेरे से सम्पर्क करने पर मैं श्री रामेश्वरलाल से मिला और मैं और श्री रामेश्वरलाल दोनो ही कार से आसीन्द से रवाना होकर गुलाबपुरा पहुँचे और गुलाबपुरा स्थित हाईवे की पुलिया के पास पहुँचकर मैंने जरिये दूरभाष संदिग्ध श्री पिन्टुलाल के मोबाईल पर सम्पर्क किया तो उसने उसे गुलाबपुरा पुलिया के पास ही कुछ ही समय बाद मिलना बताया जिस पर समय करीब 4.15 पी.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड को चालु कर श्री रामेश्वरलाल ने मेरे को सुपुर्द किया तथा श्री रामेश्वरलाल कार से उतरकर पास ही साईड में खड़े हो गये, कुछ समय पश्चात् ही श्री पिन्टुलाल मेरी कार के पास आया और हम दोनो आपस में बातचीत कर रहे थे और पास ही स्थित शान्ति रोड़वेज के नाम से ऑफिस में गये और नगरपालिका आसीन्द से जारी नोटिस क्रमांक 5525/22.02.22 फाईल करने एवं मेरे भुखण्ड पर निर्माण स्वीकृति जारी करने की एवज में रिश्वती राशि की मांग करते हुए एक लाख पच्चास हजार रूपये देना तय हुआ और जिस पर मैंने मेरे पास पड़े एक लाख रूपये उनको उनकी मांग के मुताबिक अपने स्वयं विवेक से दी गई तथा शेष राशि पच्चास हजार रूपये उनकी मांग के मुताबिक और देना आज दिनांक 03.02.22 को तय हुआ, तत्पश्चात् मांग सत्यापन की कार्यवाही के बाद श्री रामेश्वरलाल ने जरिये दूरभाष सम्पूर्ण तथ्यों के बारे में आपको बताया मैंने भी तत्समय वार्ता कर उपरोक्त तथ्यों की ताईद उसके बाद मैं और श्री रामेश्वरलाल कानि. मेरी कार से गुलाबपुरा से रवाना होकर आसीन्द आये और वहां से श्री रामेश्वरलाल कानि. अपनी मोटरसाईकिल से भीलवाड़ा के लिये रवाना होकर गये थे। श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी को आज दी जाने वाली राशि पच्चास हजार रूपये लेकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित आय हूँ। परिवादी को कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया।

सही/–
(श्री देवीलाल साहु)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–22 समय 09.50 ए.एम.

इस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के रूप मे उपस्थित रहने हेतु कहने पर दोनो ने अपनी–अपनी सहमति मौखिक ही व्यक्त करने पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में तलब कर दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिचय आपस में कराया जाकर परिवादी श्री देवीलाल साहु की रिपोर्ट दिनांक 25–02–22 को पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने गवाहान के समक्ष शब्द–ब–शब्द सही होना मान रिपोर्ट स्वयं हस्तलिपि में लिखी होकर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना बताया तथा परिवादी ने अपनी रिपोर्ट के साथ

नगरपालिका आसीन्द से जारी शुदा नोटिस कमांक 5525/22.02.22 की प्रति रिपोर्ट के साथ पेश की गई थीं उक्त नोटिस को भीं उपरोक्त गवाहान को दिखाया जाकर उक्त रिपोर्ट व नोटिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।

सही/– (श्री देवीलाल साहु)   सही/– (श्री मनीषकुमार,गवाह)   सही/– (श्री मुकेशकुमार,गवाह)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–22 समय 10.05 ए.एम.

इस समय दिनांक 27–02–22 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री देवीलाल साहु की वार्तालाप आरोपी श्री पिन्टुलाल के मध्य आमने सामने हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री रामेश्वरलाल कानि. से कनेक्ट करा वार्तालाप की दो सीडीयां तैयार की गयीं। एक पर मूल सीडी तथा दूसरी पर डब सीडी लिखा गया। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट श्री रामेश्वरलाल कानि. से तैयार की जाकर मूल व डब सीडीयों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को कपड़े की थेली में नियमानुसार सिलचिटबंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पर भी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–2022 समय 12.30 ए.एम.

इस समय मन पुलिस निरीक्षक के द्वारा आरोपी श्री पिन्टुलाला अधिशाषी अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि परिवादी श्री देवीलाल साहु से मांगने पर उसने अपने पास से 500–500 रूपये के 100 नोट कुल राशि 50000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। नोटों के नम्बर निम्नानुसार हैः–

1	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6SW	788869
2	500रूपये का एक नोट	नम्बर	8BV	095354
3	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7US	251958
4	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5AR	324746
5	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5WB	945575
6	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4MN	221487
7	500रूपये का एक नोट	नम्बर	3CL	545811
8	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	OFP	741001
9	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6FL	072983
10	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7KE	202638
11	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5TG	304383
12	500रूपये का एक नोट	नम्बर	0VE	028483
13	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5PM	286958
14	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4FG	883712
15	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2MT	357576
16	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8KA	801777
17	500रूपये का एक नोट	नम्बर	2AG	566251
18	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0LC	633313
19	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1NW	890345
20	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7VV	079714

21	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1GF	949178
22	500रूपये का एक नोट	नम्बर	4SP	794138
23	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2DS	867198
24	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3PH	475388
25	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9CC	406874
26	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0TL	483441
27	500रूपये का एक नोट	नम्बर	7GU	360656
28	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4AN	605307
29	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9MW	057071
30	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7WR	305155
31	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0NN	654199
32	500रूपये का एक नोट	नम्बर	7QR	698139
33	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6LF	186483
34	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2RD	745454
35	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1BB	266880
36	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8EA	419507
37	500रूपये का एक नोट	नम्बर	1UV	971238
38	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2GF	831952
39	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3VT	637287
40	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6MS	047951
41	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8FV	045893
42	500रूपये का एक नोट	नम्बर	4KK	454126
43	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0AA	791125
44	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6RR	930096
45	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8PU	013012
46	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5PN	808511
47	500रूपये का एक नोट	नम्बर	4NA	816913
48	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0MN	046756
49	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2DA	760140
50	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0HA	575370
51	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8AE	347604
52	500रूपये का एक नोट	नम्बर	1QS	626317
53	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2HW	747161
54	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5TK	764488
55	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7RH	181690
56	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7TK	192460
57	500रूपये का एक नोट	नम्बर	7BU	868576
58	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2NW	753301
59	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3FE	777317
60	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7NL	214187
61	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2CM	612951
62	500रूपये का एक नोट	नम्बर	2VV	232456
63	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7GA	545803
64	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4NL	350070
65	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6FR	258326
66	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5WQ	082752
67	500रूपये का एक नोट	नम्बर	2KN	961756

68	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6QS	643598
69	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5NE	349564
70	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4QE	279248
71	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8DR	084778
72	500रूपये का एक नोट	नम्बर	3LL	071847
73	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9PW	564784
74	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2MC	763577
75	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1AE	298343
76	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4TK	001773
77	500रूपये का एक नोट	नम्बर	1VD	383022
78	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9NS	867534
79	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1DW	956587
80	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5VT	476285
81	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3UQ	238104
82	500रूपये का एक नोट	नम्बर	9RQ	737969
83	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6FB	666125
84	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9KM	493341
85	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8BA	293043
86	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3RD	830810
87	500रूपये का एक नोट	नम्बर	1TK	918789
88	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0AC	339656
89	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6NM	069185
90	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9UL	005636
91	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3UA	484890
92	500रूपये का एक नोट	नम्बर	8DH	323086
93	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5KH	372794
94	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9FH	105129
95	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9MW	372776
96	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6PT	716195
97	500रूपये का एक नोट	नम्बर	3DD	834042
98	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6KT	674907
99	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6ML	758206
100	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2BW	255425

उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी के पहने हुए पेन्ट की दांयी की जेब में रखवाये जाकर परिवादी तथा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउ्डर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउ्डर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर एवं उसके मनतव्य से अवगत कराया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकॉर्डर अलग से मुर्तिब करा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–2022 समय 1.00 पी.एम.

इस वक्त मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार, श्री अजितसिंह कानि. एवं श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक जरिये प्राईवेट वाहन से एवं गवाह श्री मुकेश कुमार, ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री रामपाल स.उ.नि., मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, इत्यादि सहित मय कान्सटेबल ड्राईवर श्री हेमेन्द्रसिंह मय प्राईवेट वाहन से एवं परिवादी श्री देवीलाल साहु के साथ श्री रामेश्वरलाल कानि. को परिवादी के निजी वाहन सहित वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो

कार्यालय से आसीन्द के लिये रवाना हुए एवं कार्यालय में श्री श्रवणकुमार हैड कानि. को आवश्यक हिदायत देकर छोड़ा गया तथा हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम को निवेदन किया गया तथा ट्रेप कार्यवाही के बाद संदिग्ध के आवास गुलाबपुरा की खाना तलाशी लिये जाना भी आवश्यक होने के सम्बन्ध में भी निवेदन किया गया।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–2022 समय 2.30 पी.एम.

इस वक्त मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार, श्री अजितसिंह कानि. एवं श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक जरिये प्राईवेट वाहन से एवं गवाह श्री मुकेश कुमार, ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री रामपाल स.उ.नि., मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, इत्यादि सहित मय कान्सटेबल ड्राईवर श्री हेमेन्द्रसिंह मय प्राईवेट वाहन से एवं परिवादी श्री देवीलाल साहु के साथ श्री रामेश्वरलाल कानि. को परिवादी के निजी वाहन सहित वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना शुदा परिवादी के निजी कार्यालय तहसील रोड़ आसीन्द के आस–पास पहुँचे जहां पर परिवादी ने बताया कि संदिग्ध श्री पिन्टुलाल मेरे से सम्पर्क करने पर ही मैं उसके नगरपालिका आसीन्द कार्यालय में जाउंगा। इस पर परिवादी श्री देवीलाल साहु को आवश्यक हिदायत देकर उसके निजी कार्यालय के लिये रूखसत कर हिदायत दी गई कि संदिग्ध श्री पिन्टुलाल से सम्पर्क होने पर तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करे। मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य परिवादी के निजी कार्यालय के पास ही एकान्त में मुकिम रहे।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–2022 समय 3.00 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री देवीलाल साहु ने मन् पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क कर बताया कि संदिग्ध श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के बारे में गोपनीय रूप से मालुमात किया गया तो ज्ञात हुआ कि श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी एवं नगरपालिका के स्टाफ एवं पटवारी इत्यादि नगरपालिका आसीन्द क्षैत्र में गोविन्दपुरा की तरफ मौका निरीक्षण हेतु गये हुए है जो नगरपालिका कार्यालय में सांय के समय करीब 5.00–5.30 बजे आने की सम्भावना है। इस पर परिवादी को आवश्यक निर्देश दिये जाकर परिवादी के निजी कार्यालय की ओर रूखसत किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान एवं स्टाफ के सदस्य परिवादी के निजी कार्यालय के पास ही एकान्त स्थान पर मुकीम रहे।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–2022 समय 5.35 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री देवीलाल साहु ने मन् पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसीन्द कार्यालय में आ गये है इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश कर परिवादी के साथ श्री रामेश्वरलाल कानि. को उसकी मोटरसाईकिल से नगरपालिका आसीन्द कार्यालय की ओर रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य परिवादी की मोटरसाईकिल के पिछे–पिछे परिवादी के निजी कार्यालय से नगरपालिका कार्यालय आसीन्द की ओर रवाना हुए।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–2022 समय 5.40 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री देवीलाल साहु व श्री रामेश्वरलाल कानि. रवाना शुदा नगरपालिका कार्यालय आसीन्द के बाहर पहुँचे तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य जरिये अलग–अलग प्राईवेट वाहन से रवाना शुदा नगरपालिका कार्यालय आसीन्द के पास पहुँचकर अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खड़े हुए तथा परिवादी नगरपालिका आसीन्द कार्यालय के अन्दर की ओर गया।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–2022 समय 5.45 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री देवीलाल साहु बिना कोई ईशारा किये नगरपालिका कार्यालय आसीन्द से बाहर आया तथा एकान्त की तरफ आकर मन् पुलिस निरीक्षक को स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैं नगरपालिका कार्यालय के अन्दर गया तो वहां पर पक्ष और विपक्ष पार्टी के मध्य आपस में विरोध जैसी स्थित हो रही थी ऐसी स्थिति के कारण नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी श्री पिन्टुलाल से जाकर नहीं मिला और यदि वह अकेले में होते तो मैं उनके पास जाकर मेरे कार्य के बारे में बातचित करता और उनकी मांग के मुताबिक रिश्वत राशि देता तो वह ग्रहण कर लेते। क्योंकि मैं उनके पास ही नहीं जा सका इसलिये मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर को भी चालु नहीं किया था। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर उसके निजी कार्यालय के पास मिलने हेतु रूखसत किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य अलग–अलग प्राईवेट वाहनों से नगरपालिका कार्यालय आसीन्द से परिवादी के निजी कार्यालय तहसील रोड़ आसीन्द के लिये रवाना हुए।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–2022 समय 6.20 पी.एम.

दर्ज रहे कि समय 5.55 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य अलग–अलग प्राईवेट वाहनों से नगरपालिका कार्यालय आसीन्द से रवाना शुदा परिवादी के निजी कार्यालय तहसील रोड़ आसीन्द के पास पहुँचे तथा परिवादी ने बताया कि श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी से नगरपालिका आसीन्द कार्यालय में काफी लोगो की भीड़–भाड़ होने की वजह से बातचीत नही हो सकी है तथा वह हमेशा अपने घर गुलाबपुरा के लिये सायं 6 बजे के आस–पास निकलता है इसलिये मैं उससे जरिये मोबाईल सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त करता हूँ हो सकता है वह मेरे कार्यालय पर ही आ जावे। इस पर परिवादी को संदिग्ध श्री पिन्टुलाल से जरिये मोबाईल समय 6.12 पी.एम. पर कॉल कर वार्ता कर बताया कि श्री पिन्टुलाल जी ने मेरे को कहा कि मैं गुलाबपुरा के लिये निकल चुका हुँ तथा बाद में मिलना बताया है।

सही/–
(श्री देवीलाल साहु)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–2022 समय 6.30 पी.एम.

चूंकि परिवादी ने संदिग्ध श्री पिन्टुलाल से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर बताये अनुसार आज ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नही होने से स्वतन्त्र गवाह श्री मुकेशकुमार पटवारी से परिवादी के पहने हुए जिन्स के पेन्ट की सामने की बांयी जैब से संदिग्ध को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पच्चास हजार रूपये निकलवाई जाकर पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान

करवाया जाकर हुबहु होने से उक्त राशि पच्चास हजार रूपये को एक खाली लिफाफे में रखवाये जाकर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये तथा गवाह श्री मुकेश कुमार पटवारी के दोनों हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये जाकर परिवादी द्वारा पेश किया गया डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया जाकर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई कि जब भी संदिग्ध श्री पिन्टुलाल के सम्पर्क करने पर तुरन्त सूचित करे तथा गोपनीयता बरतने की आवश्यक समझाईश कर परिवादी को रूखसत किया गया।

सही/–
(श्री देवीलाल साहु)

सही/–
(श्री मनीषकुमार,गवाह)

सही/–
(श्री मुकेशकुमार,गवाह)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–2022 समय 7.00 पी.एम.

इस वक्त मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार, श्री अजितसिंह कानि. एवं श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक जरिये प्राईवेट वाहन से एवं गवाह श्री मुकेश कुमार, ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री रामपाल स.उ.नि., श्री रामेश्वरलाल कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, इत्यादि सहित मय कान्सटेबल ड्राईवर श्री हेमेन्द्रसिंह मय प्राईवेट वाहन से आसीन्द से ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा के लिये रवाना हुए।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 02–03–2022 समय 8.30 पी.एम.

इस वक्त मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार, श्री अजितसिंह कानि. एवं श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक जरिये प्राईवेट वाहन से एवं गवाह श्री मुकेश कुमार, ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री रामपाल स.उ.नि., श्री रामेश्वरलाल कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, इत्यादि सहित मय कान्सटेबल ड्राईवर श्री हेमेन्द्रसिंह मय प्राईवेट वाहन से आसीन्द से रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम पहुॅचा तथा ट्रेप बॉक्स को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखा जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाह को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–2022 समय 9.30 ए.एम.

मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़ ब्यूरो कार्यालय प्रथम भीलवाड़ा उपस्थित आई दर्ज रहे कि परिवादी श्री देवीलाल साहु ने दिनांक 05.03.2022 को जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को बतया कि आज भी संदिग्ध श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कार्यालय में उपस्थित आया है जो वापस जल्दी निकलने की सम्भावना है जो वापस सोमवार दिनांक 07.03.2022 को नगरपालिका कार्यालय में आयेंगे तथा संदिग्ध श्री पिन्टुलाल के दिनांक 07.03.2022 को नगपालिका कार्यालय में उपस्थित आने पर मैं आपको जरिये दूरभाष निवेदन कर दूंगा जिस पर आप शीघ्र ही आसीन्द पहुॅच जाना। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई थी। चूंकि परिवादी द्वारा दिनांक 05.03.2022 को बताये गये अनुसार परिवादी के कभी भी जरिये फोन सूचित किया जा सकता है इस हेतु अग्रिम कार्यवाही के पूर्व में पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार जाटव पटवारी व श्री मुकेशकुमार पटवारी को कार्यालय में शीघ्र उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया तथा श्रीमान् बृजराजसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–द्वितीय चौकी पद पदस्थापित श्री रामेश्वरलाल कानि. व श्री शिवराजसिंह कानि. को इस कार्यालय में भिजवाने हेतु निवेदन किया गया।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–2022 समय 10.00 ए.एम.

इस समय पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार पटवारी पटवार हल्का सेथुरिया, श्री मुकेश कुमार मीणा पटवारी पटवार हल्का कोदूकोटा तहसील भीलवाड़ा उपस्थित आये। दोनों गवाहों को ब्यूरो कार्यालय में बिठाया गया तथा श्री रामेश्वरलाल कानि. व श्री शिवराजसिंह कानि. उपस्थित आये।

सही/– सही/–
(श्री मनीषकुमार) (श्री मुकेशकुमार)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–2022 समय 11.30 ए.एम.

दर्ज रहे कि परिवादी श्री देवीलाल साहु ने समय 11.26 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि संदिग्ध श्री पिन्टुलाल जाट अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कार्यालय आसीन्द में पहुँच गये है जो आज ही मेरे से मेरे निर्माण स्वीकृति कार्य की एवज में रिश्वत राशि ग्रहण करेगा, इस पर परिवादी को उसके आसीन्द कार्यालय तहसील रोड़ के पास मिलने की हिदायत दी गई।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–2022 समय 11.50 ए.एम.

इस वक्त मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार, श्री किशोरसिंह कानि., श्री रामेश्वरलाल कानि. एवं श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स मय लिफाफे में रखी गई रिश्वती राशि पच्चास हजार रूपये, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, इत्यादि जरिये प्राईवेट वाहन से एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री प्रहलादकुमार हैड कानि. नं. 34, गवाह श्री मुकेशकुमार मीणा, श्री शिवराजसिंह कानि. मय कान्सटेबल ड्राईवर श्री हेमेन्द्रसिंह मय प्राईवेट वाहन सहित वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम से आसीन्द के लिये रवाना हुए।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–2022 समय 1.15 पी.एम.

इस वक्त मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार, श्री किशोरसिंह कानि. , श्री रामेश्वरलाल कानि. एवं श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स मय लिफाफे में रखी गई रिश्वती राशि पच्चास हजार रूपये, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, इत्यादि जरिये प्राईवेट वाहन से एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री प्रहलादकुमार हैड कानि. नं. 34, गवाह श्री मुकेशकुमार मीणा, श्री शिवराजसिंह कानि. मय कान्सटेबल ड्राईवर श्री हेमेन्द्रसिंह मय प्राईवेट वाहन सहित वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम से आसीन्द के लिये रवाना शुदा परिवादी के निजी कार्यालय तहसील रोड़ आसीन्द के आस–पास पहुँचे जहां पर परिवादी से सम्पर्क करने पर परिवादी श्री देवीलाल साहु उपस्थित आया जिसने बताया कि गोपनीय रूप से मालुमात किया गया तो संदिग्ध श्री पिन्टुलाल जाट अभी–अभी नगरपालिका कार्यालय से बाहर निकला है जिसके नगरपालिका कार्यालय आसीन्द में उपस्थित आने पर मैं संदिग्ध के पास दी जाने वाली रिश्वत राशि लेकर जाउंगा इस पर परिवादी श्री देवीलाल साहु के साथ श्री रामेश्वरलाल कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई कि संदिग्ध श्री पिन्टुलाल की जानकारी प्राप्त होने पर शीघ्र अवगत करावे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जायेगी बाद हिदायत परिवादी श्री देवीलाल साहु व कानि. श्री रामेश्वरलाल को रूखसत किया गया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य परिवादी के निजी कार्यालय के पास ही एकान्त में मुकिम रहे।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–2022 समय 02.05 पी.एम.

इस वक्त परिवादी श्री देवीलाल साहु व श्री रामेश्वरलाल कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि संदिग्ध श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कार्यालय के पास ही स्थित उसके सरकारी क्वार्टर पर है तथा अधिकतर काम क्वार्टर पर करते है तथा नगरपालिका कार्यालय में आने की सम्भावना कम है इस पर प्राईवेट वाहन में रखे हुए ट्रेप बॉक्स में से रिश्वत राशि पच्चास हजार रूपये जो लिफाफे में रखी हुई उक्त लिफाफे को गवाह श्री मनीषकुमार जाटव से निकलवाया जाकर परिवादी श्री देवीलाल साहु के पहने हुए जिन्स पेन्ट के सामने की बांयी जैब में कोई शै नहीं छोड़ा जाकर रखवाये गये तथा उक्त लिफाफे को जलाकर नष्ट करवाया गया तथा गवाह श्री मनीषकुमार जाटव के दोनो हाथो को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के संचालन की विधि परिवादी श्री देवीलाल साहु को पुनः समझाईश कर सुपुर्द किया गया।

सही/–	सही/–	सही/–
(देवीलाल, परिवादी)	(श्री मनीषकुमार, गवाह)	(श्री मुकेशकुमार, गवाह)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–2022 समय 02.10 पी.एम.

इस वक्त परिवादी श्री देवीलाल साहु के साथ श्री रामेश्वरलाल कानि. के साथ उसकी निजी मोटरसाईकिल से आगे–आगे श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के सरकारी क्वार्टर के लिये रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार, श्री किशोरसिंह कानि. एवं श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स लेपटॉप, प्रिन्टर, इत्यादि जरिये प्राईवेट वाहन से एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री प्रहलादकुमार हैड कानि. नं. 34, गवाह श्री मुकेशकुमार मीणा, श्री शिवराजसिंह कानि. मय कान्सटेबल ड्राईवर श्री हेमेन्द्रसिंह मय प्राईवेट वाहन सहित परिवादी के पिछे–पिछे रवाना हुए।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–2022 समय 02.18 पी.एम.

इस वक्त परिवादी श्री देवीलाल साहु के साथ श्री रामेश्वरलाल कानि. के साथ उसकी निजी मोटरसाईकिल से आगे–आगे श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के सरकारी क्वार्टर के लिये रवाना शुदा गांधी चौक के पास पकंज प्रिन्टिंग प्रेस के पास पहुॅचे तथा परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड परिवादी को चालु कर रिश्वत राशि लेन–देन के दौरान् होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की आवश्यक समझाईश कर रवाना किया। परिवादी रवाना शुदा पंकज प्रिंटिंग प्रेस के उपर प्रथम तल की सिड़ीयों से चलकर गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक दीपिक राठौड़, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार, श्री किशोरसिंह कानि. एवं श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक, गवाह श्री मुकेश कुमार, ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री प्रहलादकुमार हैड कानि. नं. 34, गवाह श्री मुकेशकुमार मीणा, श्री शिवराजसिंह कानि. मय कान्सटेबल ड्राईवर श्री हेमेन्द्रसिंह सहित सभी अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाये खडे रहकर परिवादी श्री देवीलाल साहु के निर्धारित ईशारें के इंतजार में रहे।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–2022 समय 3.00 पी.एम.

दर्ज रहे कि परिवादी श्री देवीलाल साहु ने समय 2.38 पी.एम. श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के सरकारी क्वार्टर की सिड़ीयों से के नीचे उतरकर मुख्य सड़क पर आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। उक्त निर्धारित ईशारा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़ मय दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों सहित परिवादी श्री देवीलाल साहु के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक को देने पर टेप रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित हालात में मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने उपस्थितिन के समक्ष बताया कि अभी–अभी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी ने उसके सरकारी क्वार्टर के अन्दर मेरे से अपनी मांग अनुसार पच्चास हजार रूपये रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण कर उनकी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये तत्पश्चात तुरन्त ही उनके पास ही खड़े उनकी कार चालक प्राईवेट व्यक्ति को उनकी कार में रखने के लिये ईशारे से बुलाकर दिये जो उक्त व्यक्ति ने अपने हाथों से लेकर उसके पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पिछे की दायीं जैब में रखे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़ द्वारा परिवादी श्री देवीलाल साहु को अपने साथ लेकर मय दोनों गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों सहित पंकज प्रिटिंग प्रेस के प्रथम तल पर पहुँचे जहां दो व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हुए थे जिन्हे देखकर परिवादी श्री देवीलाल साहु ने बैठे हुए एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी है जिन्होने अभी–अभी मेरे से इनकी मांग के अनुसार पच्चास हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर इनकी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जैब में रखकर पास खड़े हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि इसे बाद में पच्चास हजार रूपये इस व्यक्ति को दिये जो इसने लेकर इसकी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पिछे की दांयी जैब में रखे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मनतव्य से अवगत कराया जाकर उक्त दोनों को अपना–अपना उसने परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री पिन्टुलाल पुत्र श्री जमना लाल उम्र 36 वर्ष निवासी देवविहार कॉलोनी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा हाल अधिशाषी अधिकरी नगरपालिका आसीन्द होना बताया तथा पास खड़े हुए व्यक्ति को उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री प्रेमलाल निवासी गांव केलु तहसील मसुदा जिला अजमेर हाल अधिशाषी अधिकारी की प्राईवेट कार का चालक होना बताया। जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने आने के मनतव्य से अवगत कराया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी को परिवादी श्री देवीलाल साहु की ओर ईशारा कर पूछा कि परिवादी श्री देवीलाल साहु के आसीन्द भीलवाड़ा रोड़ स्थित गोविन्दपुरा में भुखण्ड पर निर्माण कार्य चल रहा है उसकी निर्माण स्वीकृति के लिये आवेदन कर पत्रावली पेश की जा चूकी जिस पर आपके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, उक्त निर्माण स्वीकृति जारी करने एवं नगरपालिका आसीन्द से आपके हस्ताक्षर से जारी नोटिस क्रमांक 5525 दिनांक 22.02.2022 फाईल करने की एवज में आपके द्वारा दिनांक 27.02.2022 को दौरान् रिश्वत राशि मांग सत्यापन एक लाख पच्चास हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा एक लाख रूपये ग्रहण किये तथा अभी–अभी पच्चास हजार रूपये लेकर आपके द्वारा अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जैब में रखकर पास खड़े हुए श्री सुरेन्द्रकुमार चालक को दिये जो इसने लेकर इसकी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पिछे की दांयी जैब में रखे है ? इस पर आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा कि गलती हो गई है माफ कर दो आईन्दा ऐसी गलती नही करूंगा जो कुछ भी हो सकता है देख लो। मेरी मदद करो। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो गवाहान के समक्ष तसल्ली देकर पुछने पर बताया कि श्री देवीलाल साहु के द्वारा उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाया गया जिसकी निर्माण स्वीकृति नही देने पर मेरे द्वारा नोटिस जारी किया गया है तथा अभी–अभी इन्होने मेरे को पच्चास हजार रूपये दिये जो मैंने लेकर मेरी पेन्ट की बायी जैब में रखने के पश्चात् मेरे प्राईवेट वाहन चालक श्री सुरेन्द्रकुमार को बुलाकर उक्त पच्चास हजार रूपये कार में ले जाकर रखने के लिये थे जो अभी उक्त पच्चास हजार रूपये की राशि श्री सुरेन्द्रकुमार की जिन्स जैब में ही है तथा बताया कि दिनांक 27.02.2022 को श्री देवीलाल साहु द्वारा मुझे गुलाबपुरा में मिले थे जिस दिन एक लाख रूपये दिये थे जिसमें से पच्चीस हजार रूपये मेरे खर्च हो गये तथा पिच्चहत्तर हजार रूपये

मेरी आलमारी में पड़े हुए है। इसके बाद पास खड़े श्री सुरेन्द्रकुमार कार चालक (प्राईवेट व्यक्ति) से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष पुछा तो उसने परिवादी श्री देवीलाल की ओर ईशारा कर बताया कि अभी–अभी यह श्री पिन्टुलाल जी अधिशाषी अधिकारी के पास आये तथा आपस में बातचीत कर रहे थे जिन्होने श्री पिन्टुलाल जी को रूपये दिये जो पिन्टुलाल जी ने लेकर अपनी पेन्ट की बांयी जैब में रख लिये और उसके बाद मेरे को ईशारा करके बुलाया और श्री पिन्टुलाल ने मुझे रूपये दिये जो मैंने लेकर मेरी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पिछे की दांई जैब में रखे है और इन देवीलाल जी के जाने के बाद मेरे को पिन्टुलाल जी ने कहा कि रूपये मैंने दिये जो कार में रख देना मैं रूपये कार में रखने जाने ही वाला था और आप लोग आ गये। इस पर परिवादी श्री देवीलाल साहु ने स्वतः ही बताया कि मेरे द्वारा अपने भुखण्ड पर निर्माण स्वीकृति हेतु नियमानुसार नगरपालिका आसीन्द में दिनांक 31.12.2021 को आवेदन किया गया था परन्तु श्री पिन्टुलाल जी अधिशाषी अधिकारी मुझे आये दिन परेशान कर रहे थे और निर्माण स्वीकृति जारी नहीं कर रहे थे तथा निर्माण स्वीकृति जारी करने के लिये मेरे से दो लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई थी तथा मेरे द्वारा रिश्वत राशि देने के लिये मना करने पर श्री पिन्टुलाल जी द्वारा मुझे एक नोटिस दिया गया जिस पर मैं श्री पिन्टुलाल जी से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि तुम्हारे काम की निर्माण स्वीकृति जारी करवानी है एवं नोटिस फाईल करवाना है तो मुझे पैसे देने पड़ेगे नही तो कोई काम नही होगा इस पर मेरे द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 25.02.2022 को लिखित शिकायत पेश की थी जिस पर दिनांक 27.02.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान् श्री पिन्टुलाल जी द्वारा मेरे रिश्वत राशि की मांग की तथा मांग के अनुसार एक लाख पच्चास हजार रूपये देना तय हुआ था जिस पर मैंने मेरे स्वयं विवेक से उसी दौरान् एक लाख रूपये दिये थे तथा शेष पच्चास हजार रूपये अभी–अभी श्री पिन्टुलाल जी को दिये जो इन्होने लेकर अपनी पेन्ट की सामने की बांयी जैब में रखे है तत्पश्चात् इनके पास खड़े इनके चालक को ईशारे से बुलाकर मेरे द्वारा दिये गये पच्चास हजार रूपये रिश्वत राशि श्री सुरेन्द्रकुमार को दिये जो इसने लेकर इसकी जिन्स पेन्ट की पिछे की दांयी जैब में रख लिये। हालात से श्रीमान् बृजराजसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा को निवेदन किये गये तथा आरोपी श्री पिन्टुलाल के बताये अनुसार मांग सत्यापन के दौरान् ग्रहण की गई रिश्वत राशि भी बरामद किया जाना आवश्यक होने से ब्यूरो जाब्ते को निगरानी हेतु आरोपी के निवास स्थान गुलाबपुरा पर स्टाफ के भिजवाने हेतु भी निवेदन किया गया।

प्रकियानुसार श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी व श्री सुरेन्द्रकुमार वाहन चालक के दोनो हाथों एवं पेन्टों की जैब का धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री रामेश्वरलाल कानि. से ट्रेप टीम के वाहन में से ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि मंगवाया जाकर श्री रामेश्वरलाल कानि. से ही ट्रेप बॉक्स में से दो साफ गिलास निकलवाई जाकर सरकारी आवास में पड़ी पानी के मटकी के पानी से साफ धुलवाई जाकर उक्त कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झाईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क पी.आर.एच.–1 व पी.आर.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे कांच के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क पी.एल.एच.–1 व पी. एल.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके बाद उक्त दोनों कांच के गिलासों को साफ पानी से धुलवाये जाकर आवास में पड़ी पानी के मटकी से उक्त कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार (प्राईवेट व्यक्ति वाहन चालक) के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया

जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क एस.आर.एच.–1 व एस.आर. एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे कांच के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार (प्राईवेट व्यक्ति वाहन चालक) के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झाईदार हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क एस.एल.एच.–1 व एस.एल.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

उपस्थितिन के समक्ष ली गई आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार की निशानदेही पर ही उसकी पहनी हुई पेंट की पिछे की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मनीषकुमार से लिवाई गई तो 500–500 रूपये के 100 नोट कुल राशि 50000रूपये बरामद हुए। उक्त गवाह से ही पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो मिलान हुबहु हुए। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि को नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये।

आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी को पहनने हेतु बाजार से लॉवर मंगवाया जाकर पहनी हुई पेंट को ससम्मान उतरवाकर मंगवाया गया लॉवर को पहनाई जाकर श्री रामेश्वरलाल कानि. के दोनो हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये जाने के पश्चात उक्त कानि. से ही एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल में आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी की उतरवाई गई पेंट की पेंट की आगे की बांयी जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झाईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क पी.पी–1 व पी.पी–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त पेंट की जेब को सुखवाकर पेंट की आगे की बांयी जेब पर एक सफेद कागज की चिट स्टेपल कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये। उक्त पेंट जो बरंग नीला है जिसके कमर बेल्ट के अन्दर की तरफ MUKHARJI AJMER PH: 2432891, लिखा हुआ है को एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर सिलचिट बंद कराया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेंट पेकेट को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया।

आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार के पहनने हेतु बाजार से लॉवर मंगवाया जाकर पहनी हुई जिन्स पेन्ट को ससम्मान उतरवाकर मंगवाया गया लॉवर को पहनाई जाकर श्री रामेश्वरलाल कानि. के दोनो हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये जाने के पश्चात उक्त कानि. से ही एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल में आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार की उतरवाई गई जिन्स पेंट की पिछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का मटमेला झाईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क एस.पी.–1 व एस.पी. –2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त जिन्स पेंट की जेब को सुखवाकर जिन्स पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब पर एक सफेद कागज की चिट स्टेपल कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये। उक्त जिन्स पेंट जो बरंग काला है जिसके पिछे GUCCI, का टेग लगा हुआ है को एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर सिलचिट बंद कराया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर जिन्स पेंट पेकेट को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया।

इसी दौरान् परिवादी श्री देवीलाल साहु की ओर से उसके भुखण्ड पर निर्माण स्वीकृति हेतु पत्रावली जो कि नगरपालिका में पेश की गई जिसके सम्बन्ध में श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुछा जाने पर श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी ने उक्त पत्रावली नगरपालिका कार्यालय में ही होना बताया जिस पर श्री हेमेन्द्रसिंह कानि. चालक को नगरपालिका कार्यालय में भेजकर पत्रावली की प्रमाणित प्रति लेकर आने हेतु भिजवाया गया जो नगरपालिका कार्यालय में जाकर श्री देवीलाल साहु के भुखण्ड पर निर्माण स्वीकृति की पत्रावली प्रमाणित शुदा लेकर उपस्थित आये जिसका अवलोकन कर पेज संख्या 1 से 15 तक है जिस पर दोनों गवाहों एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो ली गई।

रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपी के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को

चलाकर सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपी श्री पिन्टुलाल ने अपनी–अपनी आवाज होना स्वीकार किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–22 समय 4.30 पी.एम.

इस वक्त मन पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–22 समय 04.50 पी.एम.

आज दिनांक 07–03–22 को रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी की वार्तालाप आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी से हुई, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी के द्वारा रिकोर्ड की गई, उक्त डिजिटल टेप रिकोर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्तालाप की दो सीडीयां तैयार की गयी। एक पर मूल सीडी तथा दूसरी पर डब सीडी लिखा गया। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार की जाकर मूल व डब सीडीयों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को नियमानुसार सिलचिटबंद की गयी। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पर भी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता की डब सी. डी. से एक आई.ओ. सी.डी. तैयार की गई जिस पर दोनो गवाहान एवं मन् पुलिस निरीक्षक के हस्ताक्षर कर सुरक्षित रखी गई।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–22 समय 6.30 पी.एम.

परिवादी श्री देवीलाल साहु तथा आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के मध्य दिनांक 27–02–22 एवं 07–03–22 को क्रमशः रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के दौरान हुई वार्तालाप जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 16 जी.बी. जिस पर SanDisk लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–22 समय 6.50 पी.एम.

आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–22 समय 07.05 पी.एम.

आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार प्राईवेट व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–22 समय 7.20 पी.एम.

आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी को भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम के पत्रांक एसपीएल 1 दिनांक 07–03–22 से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु एवं आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के आवाज का नमूना हेतु एवं पत्रांक एसपीएल 2 दिनांक 07–03–22 दिया गया तो आरोपी श्री पिन्टुलाल ने इन्हीं पत्रों पर अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने से मना किया है। दोनो पत्रों पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये तथा आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार को अपने स्पष्टीकरण हेतु पत्रांक एसपीएल 3 दिनांक 07.03.2022 दिया गया तो आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार ने उसी पत्र पर अपना स्पष्टीकरण देने से मना किया गया है जिस पर स्वतन्त्र गवाहान के हसताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–22 समय 7.30 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री पिन्टुलाल के सरकारी आवास को सरसरी तौर पर देखा गया तो किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई तथा केवल चार पाई व गद्दे तथा टेबल मय कुर्सिया रखी हुई होना पाया गया जिसके बारे में आरोपी श्री पिन्टुलाल ने बताया कि मैं गुलाबपुरा से ही अप डाउन करता हूँ तथा मेरा परिवार भी वहीं रहता है, यहां के सरकारी आवास का उपयोग मैं केवल कभी–कभी आराम करने के लिये करता हूँ।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–22 समय 8.00 पी.एम.

इस वक्त मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह व आरोपी श्री पिन्टुलाल को साथ लेकर ब्यूरो जाब्ते सहित सरकारी आवास के बाहर खड़ी कार नम्बर आर.जे.–06–सी. ए.–8948 की तलाशी ली गई तो कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई जाने के बाद पुनः मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान एवं आरोपी श्री पिन्टुलाल व ब्यूरो स्टाफ के सदस्य अधिशाषी अधिकारी के सरकारी आवास पर पहुँचे तथा आरोपी श्री पिन्टुलाल के सरकारी आवास की चाबी बाद कार्यवाही सुपुर्द की जानी है जिसके लिये पिन्टुलाल के कहे अनुसार श्री गोतमलाल जैन निवासी आसीन्द को तलब होने हेतु सूचना भिजवाई गई।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–22 समय 8.30 पी.एम.

इस वक्त आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के बताये अनुसार श्री गोतमलाल जैन निवासी आसीन्द उपस्थित आया जिसे उक्त सरकारी आवास की चाबी सुपुर्द की गई तथा आरोपीगणों को बाजार से खाना मंगवाकर खिलाने में व्यस्त हुए।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–22 समय 10.00 पी.एम.

इस वक्त मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार, श्री प्रहलादकुमार हैड कानि. नं. 34, श्री किशोरसिंह कानि., एवं श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, जब्त शुदा आर्टीकल्स व सीलचिट शुदा रिश्वत राशि इत्यादि जरिये प्राईवेट वाहन से एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री रामेश्वरलाल कानि., आरोपी श्री पिन्टुलाल, आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार (प्राईवेट व्यक्ति) मय कान्सटेबल ड्राईवर श्री हेमेन्द्रसिंह मय प्राईवेट वाहन से तथा आरोपी श्री पिन्टुलाल की निजी कार से गवाह श्री मुकेशकुमार मीणा व श्री शिवराजसिंह कानि. सहित आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के निवास स्थान

आसीन्द से गुलाबपुरा के लिये रवाना हुए तथा परिवादी श्री देवीलाल साहु को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 07–03–22 समय 11.50 पी.एम.

इस वक्त मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार, श्री प्रहलादकुमार हैड कानि. नं. 34, श्री किशोरसिंह कानि., एवं श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, जब्त शुदा आर्टीकल्स व सीलचिट शुदा रिश्वत राशि इत्यादि जरिये प्राईवेट वाहन से एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री रामेश्वरलाल कानि., आरोपी श्री पिन्टुलाल, आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार (प्राईवेट व्यक्ति) मय कान्सटेबल ड्राईवर श्री हेमेन्द्रसिंह मय प्राईवेट वाहन से तथा आरोपी श्री पिन्टुलाल की निजी कार से गवाह श्री मुकेशकुमार मीणा व श्री शिवराजसिंह कानि. सहित आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के निवास स्थान आसीन्द से गुलाबपुरा के लिये रवाना शुदा देवविहार कॉलोनी गुलाबपुरा श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के आवास के बाहर पहुँचे जहां पर श्रीमान् बृजराजसिंह चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा के निर्देशन पर निगरानी हेतु उपस्थित ब्यूरो स्टाफ के सदस्य श्री गोपाल जोशी हैड कानि. व श्री प्रेमचन्द कानि. वगैरह उपस्थित मिले।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 08–03–22 समय 12.05 ए.एम.

दर्ज रहे कि मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार, श्री मुकेश कुमार एवं आरोपीगण श्री पिन्टुलाल एवं श्री सुरेन्द्रकुमार को हमराह लेकर ब्यूरो स्टाफ के सदस्यों सहित आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के आवासीय मकान देवविहार कॉलोनी गुलाबपुरा पहुँचे जहां पर आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी व उसके परिवार के सदस्यों की मौजुदगी में स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष नियमानुसार खाना तलाशी लेना समय 12.05 ए.एम. पर लेना प्रारम्भ करते हुए समय 02.05 ए.एम. तक खाना तलाशी सम्पन्न की गई जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसीन्द द्वारा परिवादी श्री देवीलाल साहु से दौरान् रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.02.2022 को एक लाख रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की गई थी जिसके बारे में दौरान् ट्रेप कार्यवाही दिनांक 07.03.2022 को स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष पुछने पर उक्त रिश्वत राशि एक लाख रूपये में से पच्चीस हजार रूपये खर्च होना बताया तथा शेष पिच्हत्तर हजार रूपये अपने गुलाबपुरा स्थित मकान पर रखे होना बताया था। चूंकि आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी द्वारा परिवादी श्री देवीलाल साहु से ग्रहण की गई रिश्वत राशि एक लाख रूपये बरामद किया जाना आवश्यक होने से 27 साक्ष्य अधिनियम के अर्न्तगत बरामद कर कब्जे ब्यूरो लिये जाने हेतु आरोपी की निशादेही से दौरान् खाना तलाशी स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष अपने श्री पिन्टुलाल जाट ने अपने मास्टर बेड रूम में लकड़ी की आलमारी में 500–500 रूपये के 150 नोट रखे हुए होना बताया जो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये थे। इस प्रकार रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान् ग्रहण किये गये एक लाख रूपये में से 75000 रूपये आरोपी की निशादेही से बरामद हुए जो 500–500 रूपये के 150 नोटों के नम्बर निम्नानुसार है –

1.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5BB	665684
2.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8EK	520244
3.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3BH	984515
4.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2VD	247729
5.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9DT	926730

6.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4CN	412210
7.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0CV	100028
8.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0KT	174564
9.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2SK	037034
10.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4NN	028087
11.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9LV	672710
12.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1HL	114117
13.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0GD	424456
14.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8NH	555442
15.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8KB	824803
16.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5ND	394751
17.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3PC	853273
18.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0KH	902820
19.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6TE	133885
20.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9VM	386791
21.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6BA	597720
22.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8WP	586952
23.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1AH	554400
24.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1KA	458611
25.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4TC	408736
26.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3EQ	059433
27.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5WT	934401
28.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0PP	486701
29.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5ND	908380
30.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4AM	710426
31.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3AD	522990
32.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8BT	767292
33.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8EB	771668
34.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9WC	456130
35.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1EV	370353
36.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5AD	284024
37.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9MW	896802
38.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8TL	182405
39.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0DG	398070
40.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6AK	412565
41.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9VV	835063
42.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4AH	737924
43.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4MS	466569
44.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4ES	635401
45.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6FE	361242
46.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6KT	023709
47.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1AE	062183
48.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3RP	395211
49.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2FA	378201
50.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3KB	865745
51.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1AM	733034
52.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8UV	233348

53.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9CB	813884
54.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6WS	897849
55.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8UW	154542
56.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6HV	681641
57.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5GC	423678
58.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8SM	836328
59.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7VD	718897
60.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8CN	120977
61.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7WP	480616
62.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6BU	205420
63.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4BU	470237
64.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1KQ	090980
65.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7FE	806160
66.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2VR	364383
67.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6RR	132860
68.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5BE	206514
69.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9CK	028336
70.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9UG	741724
71.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7WW	832552
72.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6RL	805836
73.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1UD	037197
74.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9MC	968015
75.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0UG	512155
76.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1BV	144510
77.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4SU	709057
78.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5SW	214022
79.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7CU	244068
80.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6EA	371882
81.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7WP	416590
82.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7WP	448851
83.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6AB	032085
84.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4DA	608933
85.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6CU	605712
86.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5RF	404149
87.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3UP	916310
88.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7TU	662044
89.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9PM	486311
90.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9AD	430270
91.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4BV	609559
92.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0WP	465111
93.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7FA	691766
94.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8MW	397032
95.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6WG	058862
96.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5BT	772826
97.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3MT	762063
98.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6LN	103167
99.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8KM	148272

100.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3KF	853595
101.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6VL	765802
102.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9BP	351752
103.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1TP	738491
104.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5KG	765729
105.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3NT	162389
106.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4DD	058569
107.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4DD	058570
108.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8UV	210556
109.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1TT	841373
110.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3QR	312082
111.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0GW	080563
112.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4DW	686513
113.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8PG	693045
114.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2DP	155397
115.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1FU	902830
116.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2TQ	759413
117.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1VK	244143
118.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5DA	695461
119.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9EB	129352
120.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3BQ	527648
121.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3BQ	527649
122.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2BA	639808
123.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0CP	078047
124.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1SP	003421
125.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6DR	034282
126.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5NC	730153
127.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5RD	707459
128.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8UV	210546
129.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3MV	206273
130.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1GD	398550
131.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5FG	219291
132.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6TF	488818
133.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3BB	409141
134.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7KV	674805
135.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0TC	089932
136.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5QQ	174302
137.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5DL	837087
138.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9SN	433534
139.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0FD	481108
140.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2FS	286946
141.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7MC	033332
142.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6DQ	500260
143.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6MK	524180
144.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0SW	154166
145.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2TS	239588
146.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2KT	148934

147.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1BP	261775
148.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5SE	749971
149.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1AR	037213
150.	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7WP	484488

क्त बरामद सिलचिट शुदा राशि शामिल ट्रेप कार्यवाही की गई।

सही/– (श्री मनीषकुमार, गवाह) सही/– (श्री मुकेश कुमार, गवाह) सही/– (श्री पिन्टुलाल, आरोपी)

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 08–03–22 समय 02.10 ए.एम.

इस वक्त मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार, श्री प्रहलादकुमार हैड कानि. नं. 34, श्री किशोरसिंह कानि., एवं श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, जब्त शुदा आर्टीकल्स व सीलचिट शुदा रिश्वत राशि इत्यादि जरिये प्राईवेट वाहन से एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री रामेश्वरलाल कानि., आरोपी श्री पिन्टुलाल, आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार (प्राईवेट व्यक्ति) मय कान्सटेबल ड्राईवर श्री हेमेन्द्रसिंह मय प्राईवेट वाहन से तथा गवाह श्री मुकेशकुमार मीणा व श्री शिवराजसिंह कानि, श्री गोपाल जोशी हैड कानि., श्री प्रेमराज कानि. जरिये सरकारी वाहन मय चालक के आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के निवास स्थान गुलाबपुरा से भ्र. नि. ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम के लिये रवाना हुए थे।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 08–03–22 समय 2.50 ए.एम.

इस वक्त मन् पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री मनीषकुमार, श्री प्रहलादकुमार हैड कानि. नं. 34, श्री किशोरसिंह कानि., एवं श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, जब्त शुदा आर्टीकल्स व सीलचिट शुदा रिश्वत राशि इत्यादि जरिये प्राईवेट वाहन से एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री रामेश्वरलाल कानि., आरोपी श्री पिन्टुलाल, आरोपी श्री सुरेन्द्रकुमार (प्राईवेट व्यक्ति) मय कान्सटेबल ड्राईवर श्री हेमेन्द्रसिंह मय प्राईवेट वाहन से तथा गवाह श्री मुकेशकुमार मीणा व श्री शिवराजसिंह कानि, श्री गोपाल जोशी हैड कानि., श्री प्रेमराज कानि. जरिये सरकारी वाहन मय चालक के आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के निवास स्थान गुलाबपुरा से भ्र. नि. ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम के लिये रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम पहुँचे तथा जब्त जब्त शुदा रिश्वती राशि, धोवन की शीशियां, शील्ड सीड़ियां, मेमोरी कार्ड इत्यादि को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखाकर जमा मालखाना करवाया जाकर समय 3.00 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान श्री मनीषकुमार एवं श्री मुकेशकुमार के समक्ष उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान उपयोग मे ली गई ब्रास सील को बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के फारीख हो कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम के बाहर पत्थर से तुड़वाकर नष्ट की गई जिसकी पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद कार्यवाही से फारिग होकर दोनो स्वतन्त्र गवाह को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत की गई।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 08–03–22 समय 03.10 ए.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपीगण श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी व श्री सुरेन्द्रकुमार (प्राईवेट व्यक्ति) को पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाड़ा में सुरक्षा की दृष्टि

से जमा कराने हेतु जरिये पत्रांक एसपीएल–4 दिनांक 08.03.2022 से श्री हेमेन्द्रसिंह कानि. ड्राईवर व श्री किशोरसिंह कानि. के साथ जरिये वाहन से ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम से रवाना किया गया।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 08–03–22 समय 03.30 ए.एम.

इस समय आरोपीगण श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी व श्री सुरेन्द्रकुमार (प्राईवेट व्यक्ति) को पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाड़ा में सुरक्षा की दृष्टि से जमा कराने हेतु जरिये पत्रांक एसपीएल–4 दिनांक 08.03.2022 से श्री हेमेन्द्रसिंह कानि. ड्राईवर व श्री किशोरसिंह कानि. के साथ जरिये वाहन से ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम से भिजवाया गया था जो उक्त दोनों आरोपीगणों को पुलिस थाना सुभाषनगर में जमा करवाकर ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम में उपस्थित आये। उक्त दोनों आरोपीगणों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रातः राजकीय चिकित्सालय भिजवाकर करवाया जायेगा।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 08–03–22 समय 11.15 ए.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपीगण श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी व श्री सुरेन्द्रकुमार (प्राईवेट व्यक्ति) को पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाड़ा में सुरक्षा की दृष्टि से जमा करवाया गया जहां प्राप्त कर महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय भीलवाड़ा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाये जाने हेतु जरिये पत्र क्रमांक 252 दिनांक 08.03.22 श्री हेमेन्द्रसिंह कानि. ड्राईवर व श्री श्रवणकुमार हैड कानि. को देकर जरिये वाहन से ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम से रवाना किया गया।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 08–03–22 समय 12.50 पी.एम.

इस समय श्री हेमेन्द्रसिंह कानि. ड्राईवर व श्री श्रवणकुमार हैड कानि. द्वारा अपने साथ आरोपीगण श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी व श्री सुरेन्द्रकुमार (प्राईवेट व्यक्ति) को लेकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उपस्थित आये तथा उक्त दोनों आरोपीगणों की कोविड–19 रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है जो प्राप्त की जावेगी। उक्त दोनों आरोपीगणों को सुरक्षित कार्यालय में बिठाया गया।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 08–03–22 समय 4.00 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़, ब्यूरो कार्यालय स्टाफ के सदस्य श्री किशोरसिंह कानि., श्री श्रवणकुमार हैड कानि. सहित जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री हेमेन्द्रसिंह के आरोपीगण श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी व श्री सुरेन्द्रकुमार (प्राईवेट व्यक्ति) को माननीय न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा के समक्ष पेश करने हेतु रवाना हुए।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 08–03–22 समय 7.00 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़, ब्यूरो कार्यालय स्टाफ के सदस्य श्री किशोरसिंह कानि., श्री श्रवणकुमार हैड कानि. सहित जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री हेमेन्द्रसिंह के आरोपीगण श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी व श्री सुरेन्द्रकुमार (प्राईवेट

व्यक्ति) को माननीय न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा के समक्ष पेश कर जरिये जेसी रिमाण्ड प्रस्तुत कर 15 दिन जेसी रिमाण्ड प्राप्त कर कोविड–19 जॉच रिपोर्ट जो नेगेटिव की प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट ली जाकर कारागृह भीलवाड़ा पहुँचकर को आरोपीगणों को न्यायिक अभिरक्षा हेतु मय कोविड–19 जॉच रिपोर्ट के सम्भलाकर रसीद प्राप्त कर कारागृह भीलवाड़ा से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित हुए है।

सही/–
(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक

इस प्रकार परिवादी श्री देवीलाल साहु निवासी आसीन्द जिला भीलवाड़ा की लिखित रिपोर्ट पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा निर्देशानुसार दिनांक 27–2–22 को नियमानुसार रिश्वती राशि के मांग का सत्यापन कराया गया तो आरोपी श्री पिन्टुलाल द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि की मांग करते हुए एक लाख पच्चास हजार रूपये लेना तय हुआ जिस पर परिवादी ने दौरान् रिश्वत राशि मांग सत्यापन अपने स्वयं विवेक से एक लाख रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की गई। इस प्रकार सत्यापन से रिश्वती राशि के मांग की पुष्टि होने पर ही दिनांक 07–03–22 को नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित कर परिवादी श्री देवीलाल साहु से आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी ने अपने सरकारी आवास आसीन्द स्थित पच्चास हजार रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने पहने हुए पेन्ट की सामने की बांयी जैब में रखने के पश्चात् पास ही खड़े अपने निजी कार चालक श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द निवासी केलु तहसील मसुदा जिला अजमेर को ईशारा कर श्री पिन्टुलाल ने अपनी जैब से रिश्वत राशि निकालकर दिये जिस पर श्री सुरेन्द्रकुमार प्राईवेट व्यक्ति द्वारा उक्त रिश्वत राशि पच्चास हजार रूपये लिये जाकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पिछे की दाहिनी जैब में रखे जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई। मौके पर ही आरोपीगणों के दोनो हाथों तथा श्री पिन्टुलाल के पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जैब जिसमें रिश्वत राशि ग्रहण कर रखी वहां से तथा श्री सुरेन्द्रकुमार की जिन्स पेन्ट की पिछे की दाहिनी जैब जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई, उस पेंट की जेबों के धोवन लिये जाकर सेम्पल सिलचिट कर कब्जे ब्यूरो लिये गये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान ही संबंधित रिकॉर्ड जप्त किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान ही आरोपीगणों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसीन्द द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान् ग्रहण की गई रिश्वत राशि एक लाख के बारे में दौरान् ट्रेप कार्यवाही पुछा गया तो उक्त रिश्वत राशि के बारे में आरोपी श्री पिन्टुलाल द्वारा बताया गया कि एक लाख रूपये मांग सत्यापन के दौरान् ग्रहण किये जिसमें से पच्चीस हजार रूपये खर्च हो गये तथा 75000 रूपये गुलाबपुरा स्थित रिहायशी आवास पर रखे होना बताया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान द्वारा आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी के देवविहार कॉलॉनी गुलाबपुरा से उसकी निशादेही पर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत जरिये फर्द 500–500 रूपया के 150 नोट कुल 75000 रूपये बरामद कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिये जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही किये गये। इस प्रकार परिवादी श्री देवीलाल साहु से मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन–देन के दौरान् ग्रहण की गई रिश्वत राशि एक लाख पच्चीस हजार रूपये बरामद की गई।

इस प्रकार परिवादी श्री देवीलाल साहु के भूखण्ड निर्माण स्वीकृति जारी करने एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा भूखण्ड पर निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जारी नोटिस फाईल करने की एवज में आरोपी श्री पिन्टुलाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसीन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा अपने निजी कार चालक श्री सुरेन्द्रकुमार के मार्फत ट्रेप कार्यवाही के दौरान् 50000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना तथा मांग सत्यापन के दौरान् परिवादी श्री देवीलाल साहु से एक लाख रूपये ग्रहण किये जिसके सम्बन्ध में दौरान् ट्रेप कार्यवाही पच्चीस हजार रूपये खर्च होना तथा शेष 75000 रूपये अपने निवास स्थान गुलाबपुरा में रखे होना बताये जो आरोपी श्री पिन्टुलाल की निशादेही से बरामद कर नियमानुसार सिलचिट कर कब्जे ब्यूरो लिये जाकर शामिल ट्रेप कार्यवाही किये गये।

अतः श्री पिन्टुलाल पुत्र श्री जमना लाल उम्र 36 वर्ष निवासी देवविहार कॉलोनी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा हाल अधिशाषी अधिकरी नगरपालिका आसीन्द जिला भीलवाड़ा एवं श्री

सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द निवासी केलु तहसील मसुदा जिला अजमेर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी. भा.द.स. के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें साद्र प्रेषित है।

भवदीया,

(दीपिका राठौड़)
पुलिस निरीक्षक,
भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती दीपिका राठौड पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त आरोपीगण 1. श्री पिन्टुलाल, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसीन्द जिला भीलवाड़ा एवं 2. श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द, निवासी केलु तहसील मसुदा जिला अजमेर (प्राईवेट व्यक्ति)निजी कार चालक श्री पिन्टुलाल, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसीन्द जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 84/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक-: 752-56 दिनांक 9.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त संयुक्त सचिव, स्वयत्त शासन विभाग,राजस्थान जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम।

9.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।